

कार्यालय नगर पंचायत, मनिहारी।

नगर पंचायत
मनिहारी



प्रफुल्ल चन्द्र यादव
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मनिहारी
टेलिफोन नं०- 06452254224
E-mail - ctmgr.manihari@gmail.com

पत्रांक..... / दिनांक.....

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा।
बिहार, पटना।

विषय:- नगर पंचायत मनिहारी से सम्बंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-381/2013-14 का अनुपालन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में सादर सूचित करना है कि नगर पंचायत मनिहारी से सम्बंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन 381/2013-14 के अन्तर्गत उल्लेखित कंडिका पर जाँच के दौरान पाये गये त्रुटि के निष्पादन करते हुए सम्बंधित कागजातों का साक्ष्य के रूप में छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मनिहारी

जाँच 15 दि०-8.01.18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मनिहारी

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

(कृपया मूल प्रति जवाब के साथ वापस लौटायी जाये)

मेमो सं० एल० ए० / एस० एस०-1/

दिनांक:-

नगर पंचायत द्वारा दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-381/2013-14

क० सं०	कंडिका सं०	विषय	अंकेक्षण कंडिका का उत्तर
1	2	3	4
01	1	प्रस्तावना	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
02	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं
03	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया गया।
04	4	पूर्वती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अनुपालन तैयार कर भेजा जा रहा है।
05	5	आंतरिक लेखा परीक्षा	कार्यपालक पदाधिकारी एवं लेखा पाल द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती थी।
06	6	लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ।	दिये गये कंडिका में इसका पालन किया जा रहा है।
07	7	स्वीकृत बल तथा कार्ररत बल	लेखापाल द्वारा समय-समय पर जाँच की आवश्यकता नहीं
08	8 (1) 1.	अधिदृष्य	दुवारा इन्द्राज नहीं होन के कारण राशि को घटाया गया था।
	2.3.4		भविष्य में ध्यान दिया जा रहा है।
	8(2) 1.	BRGF का अधिदृष्य	समाधान विवरणी तैयार कर दिया गया है। छाया प्रति संलग्न है।
			राशि आगे व्यय किया गया है। योजना पंजी का छाया प्रति संलग्न है।
09	9	बजट प्राक्कलन	भविष्य में अनुपालन किया जा रहा है।
10	10	अनुदान	अनुदान पंजी का समाधान कर लिया जायेगा।
11	11 (1)	गृहकर के अतिरिक्त अन्य करों का अधिरोपन नहीं।	बिहार नगर पालिका अधिनियम में दी गई नियम के अनुसार 9% कर की दर से वसुली की जा रही है।
	11 (2)	सरकारी भवनों पर बकाया किराया	सभी सरकारी भवनों के कार्य प्रमुख को नोटिस बार-बार निर्गत किया गया।
12	12	संचार मोबाईल टावरों का अपंजीकृत रहना।	माननीय उच्च न्यायालय CWJC के द्वारा के सं- दिनांक- रहने के कारण।
13	13(1) (1)	नहीं जमा	राशि की वसूली नहीं हो पा रही है
	13(1) (2)	बस पड़ाव में कम जमा	राशि जमा कर द गई है साथ संलग्न है।
	13 (2)	भंडार पंजी में बस स्टेन्ड का	भंडार पंजी में इसका इन्द्राज कर लिया जायेगा। साक्ष्य संलग्न हैं

✓

	13 (3)	विभगीय वसुली में डाक बन्दोबस्ती में कम जमा।	नगर पंचायत में सिर्फ एक टैक्स दरोगा थे जिन्हे गृहकर, विविधकर तथा बस पड़ाव की भी बसुली करनी थी, एक ही व्यक्ति से यह कार्य संभव नहीं था। इस कारण बन्दोबस्ती से बसुली हुई।
14	14(1)	बैट्री कय में अनियमितता	बैट्री कय में न्युनतम कोटेशन के दर पर बैट्री का कय किया गया। अन्य बिन्दुओं पर भविष्य पर ध्यान दिया जायेगा।
	14(2)	निरस्त	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।
	14(3)	वाटर टैंक कय में अनियमितता	भंडार पंजी के पृष्ठ सं0-03 पर दो वाटर टैंक का इन्द्राज है। छाया प्रति संलग्न।
	14(4)1	फोगिंग मशीन कय में अनियमितता	वार्ड के सामान्य बैठक के आलोक में कोटेशन लेकर कय किया गया।
	14(4)2	भंडार पंजी में इन्द्राज नहीं	भंडार पंजी में पृष्ठ सं0-03 पर इन्द्राज है। छाया प्रति संलग्न है।
	14(5)1,2,3	सेक्शन मशीन के कय में अनियमितता	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा तथा सेक्शन मशीन कार्यरत है एवं इससे नगर पंचायत को राशि भी प्राप्त हो रही है।
	14(6)	कुड़ेदानी के कम में अनियमितता।	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा। इन्द्राज किया गया है। छाया प्रति संलग्न है।
	14(7)	सोलर स्ट्रीट लाईट के कय में अनियमितता	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा तथा इन्द्राज कर लिया जायेगा।
	14(8)	वैट की कटौती नहीं किया जाना	अभिश्चर पर वैट का टिन न0 तथा टोकन न0 रहने के कारण वैट की कटौती नहीं की गई।
15	15(1).1	चापाकल अधिष्ठापन में अनियमितता	सभी चापाकल का अधिष्ठापन कर दिया गया। योजना पूर्ण है।
	15(1).2	इसमें चयनित स्थल संचिका में संलग्न।	चयनित स्थल योजना संचिका में संलग्न है।
	15 (2).1	कार्य अपुर्ण रहना।	चापाकल का योजना पूर्ण है। छाया प्रति संलग्न है।
	15 (2).2. 3.4		संचिका में सभी कागजात की छाया प्रति संलग्न है।
16	16	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	सरकार के दिश निर्देशानुसार कार्य किया गया।
17	17	कबीर अन्तयोष्ठी योजना	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।
18	18 (1).1	योजनाओ के भौतिक स्थिति	राशि जमा की जा चुकी है।
	18 (1). 2,3,4		सभी मद की योजना का योजना पंजी तथा योजना संचिका संलग्न है।
	18 (2) 1 से 6	योजना का अनियमित कार्यान्वयन	भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।
	18 (3)	सफाई पर अतिरिक्त व्यय	मुहल्ले का कुड़ा उठाने के लिये दैनिक मजदुर, ट्रेक्टर का इंधन एवं अन्य व्यय पर खर्च किया गया।
	18 (4)(1). 1,2,3,4,5	सफाई पर व्यय	एकरार नामा के लिये भविष्य में ध्यान दिया जायेगा। अन्य आप्त के सम्बंध में नियमानुसार कार्य किया गया।
	18 (4)(2). 1,2,3,4,5	अंकेक्षण टिप्पणी	नियमानुसार सभी कार्य कराया गया था।